

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं०
89/दावा/2011

तारीख दायर
06.04.2011

तारीख फैसला
04.09.2019

संरक्षक अस्थल कबीर पंथी श्रीपुरा कोटा जरिये कबीर पंथी अस्थल (मठ) सेवा ट्रस्ट श्रीपुरा ट्रस्ट श्रीपुरा कबीर पार्क संस्थान 13 विनोबा भावे नगर कोटा सदगुरु जी प्रभाकर साहेब गुरु सदगुरु श्री चेतन देव जी
.....वादी

बनाम

1. रामनारायण पुत्र श्री मोड़ जाति खाती निवासी गामछ तह० तालेड़ा जिला बून्दी (राज०)
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री भंवर लाल जाति ब्राहमण निवासी गामछ तह० तालेड़ा जिला बून्दी (राज०)

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्तावादी:- श्री श्री राजकुमार गौतम

अधिवक्ता प्रतिवादी:-

...प्रतिवादीगण

- : : निर्णय : : -

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है कि:-

1. यह कि ग्राम गामछ तहसील बून्दी स्थित मौजूदा नये बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 9/1 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 9/2 रकबा 6 बीघा कुल किता-2 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि को नामान्तरण पंजिका 239 के अनुसार अस्थल को खातेदार दर्ज किया गया था। इस भूमि का पुराना बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 14 है। चालू जमाबंदी रिकार्ड ऑफ राइट में भी वादी को खातेदार दर्ज किया जा चुका है। इस भूमि का केचमेन्ट ख०नं० 975 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा ख०सं० 974 रकबा 4 बीघा एवं ख०सं० 990 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा कुल किता-3 कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा है।
2. यह कि वादी माधोदास ने उपरोक्त वर्णित भूमि पर अस्थल कबीर पंथी श्रीपुरा कोटा की ओर से दिनांक 18.5.1983 को व मौजूदगी हल्का कानूनगो एवं हल्का पटवारी आदि गवाह के मौके पर जाकर नियमानुसार कब्जा प्राप्त कर लिया था। वादी को यह कब्जा जिलाधीश महोदय, बून्दी के पत्र क्रमांक एफ 12-2(7) रेवेन्यू/52/2212-13 दिनांक 12.4.83 के अनुसार दिलाया गया था। कब्जा दिये जाने का आदेश व मुकदमा सरकार बनाम लक्ष्मीनारायण व 12-2(6) राजस्व 81 किस्म मुकदमा सीलिंग तारीख फैसला 11.5.1982 न्यायालय जिलाधीश बून्दी के अनुसार दिया गया था। वादी 18.05.1983 के बाद से वादग्रस्त भूमि पर काबिज हो गया।
3. यह कि प्रतिवादीगण ने करीब 20 दिन से तिल्ली एवं सोयाबीन की फसले बोदी है और वे वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर अतिक्रमी के रूप में काबिज हो गये है।
4. यह कि वादी को हक हासिल है कि वह प्रतिवादीगण को बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करें।
5. यह कि वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर 20 दिन पूर्व पैदा हुआ। अतः दावा अन्दर मियाद पेश है।

अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि पर से बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा संभलाया जावे।

खर्चा मुकदमा तथा जब तक वादी कब्जा प्राप्त न करले तब तक का उचित मुआवजा दिलाया जावे। वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 2 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण सं० 1 में ख०सं० 9/1 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा सं० 9/2 रकबा 6 बीघा का केचमेन्ट खसरा नम्बर 975 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा एवं 976 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा होना अस्वीकार है। वास्तव में इन भूमियों के केचमेन्ट के बाद

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा

नम्बर 974 रकबा 4 बीघा 990 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा 975 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा है। वाद पत्र की चरण सं० 2 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रतिवादी लक्ष्मीनारायण के नाम भूमि ख०सं० 4712 रकबा 15 बीघा विस्थित ग्राम गामछ आंवटित हुई थी। केचमेन्ट के पश्चात इस भूमि का ख०सं० 976 रकबा रखा गया है और रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा रहा है। इस भूमि पर प्रतिवादी लक्ष्मीनारायण का आंवटन के समय से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। केचमेन्ट के समय इस भूमि को प्रतिवादी लक्ष्मीनारायण के कब्जे से केचमेन्ट विभाग वालो ने कब्जा प्राप्त किया था और विकास के पश्चात प्रतिवादी लक्ष्मीनारायण को ही वापिस कब्जा संभलाया गया था। अभी तक प्रतिवादी लक्ष्मीनारायण ने आंवटन के समय निर्धारित राशि राजस्थान सरकार में जमा करादी है और इस भूमि की खातेदारी राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्त 1655 की शर्त 6 के अधीन प्रतिवादी लक्ष्मीनारायण को दिनांक 3.8.83 की सनद के द्वारा खातेदारी प्रदान कर दी गई है। वाद पत्र की चरण सं० 3 अस्वीकार है। प्रतिवादी लक्ष्मीनारायण का उसको आंवटित की गई और केचमेन्ट के बाद उसे संभलाई गई भूमि ख०सं० 976 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा पर कब्जा है। विशेष उत्तर उपर के चरण में दिया जा चुका है। च०सं० 4 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। भूमि ख०सं० 976 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा के संबंध में वादी किसी प्रकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वाद पत्र की चरण सं० 5 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। वादी को प्रतिवादी लक्ष्मीनारायण के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद अवधि बाधित है। चरण सं० 6 में वर्णित भूमि का श्रीमान के न्यायालय क्षेत्र में विस्थित होना स्वीकार है। च०सं० 7 के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना वादी अस्वीकार है। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध जानबूझ कर झूठा दावा दायर किया है। जिसमें प्रतिवादी को भारी मानसिक क्लेश व आर्थिक हानि हुई है। वादी का दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे और प्रतिवादी सं० 2 को विशेष स्वरूप 500 रुपये दिलाये जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि च०सं० 1 में उल्लेखित कृषि भूमि का पुराना ख०सं० 14 होना स्वीकार है। इसके वर्तमान बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 9 निर्धारित किया गया है। शेष समस्त तथ्यों से इंकार है। अलबता ख०नम्बर 9 दो व्यक्तियों को अलोट होने से इनका खसरा नम्बर 9/1 व 9/2 कायम किया गया है। ख०नं० 9 की भूमि प्रतिवादी रामनारायण को भी अलोट की गई। केचमेन्ट के नम्बर अस्वीकार है। वादी इस भूमि का खातेदार नहीं है। यदि उन्होने गलत तथ्य प्रकट कर स्वयं को खातेदार अंकित करवा भी लिया है तो वह अवैध है। वादी ने श्रीमान एसडीओ साहब बून्दी के समक्ष भी एक निवेदन पत्र धारा 125 लेण्ड रेवेन्यू के अन्तर्गत अन्य कृषि भूमि के साथ विवादित भूमि को अपने खाते अंकित करवाने की कार्यवाही की थी जो दिनांक 19.10.1981 को खारिज हो चुकी है। जिसके मिसल नम्बर 28/78 है। इस निर्णय के तथ्य को छिपाकर भूमि को अनुचित तरीके से वादी ने अपने खाते अंकित करा भी लिया हो तो वह प्रभावहीन है। च०सं० 2 में वर्णित समस्त तथ्यों से इंकार है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी रामनारायण को जानकारी के बिना इस चरण में उल्लेखित कोई कार्यवाही हुई है तो वह प्रभावहीन है। वादी ने गलत तथ्य लिखाकर कोई आदेश भी अपने पक्ष में प्राप्त कर लिया हो तो वह प्रभावहीन है। वाद पत्र की चरण सं० 1 में वर्णित कृषि भूमि के खातेदार श्री लक्ष्मीनारायण जी थे और वादी का कोई हक टीनेन्सी का इस भूमि में नहीं था। सिलिग प्रकरण में यह भूमि नियम अनुसार लक्ष्मीनारायण जी की मानी जाकर दर्ज की गई व प्रतिवादी रामनारायण को आंवटित हुई है। प्रतिवादी को सूचना दिये बिना प्रतिवादी का प्रतिवादी का आंवटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। यदि कोई आदेश इस संबंध में दे भी दिया गया हो तो वह प्रभावहीन है। च०सं० 3 जिस प्रकार लिखी गई है अस्वीकार है। प्रतिवादी रामनारायण का कब्जा इस भूमि पर सन् 1976 से चला आ रहा है और तब से ही अब तक इस भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। च०सं० 4 व 5 अस्वीकार है। च०सं० 6 व 7 के प्रति आपत्ति नहीं है। च०सं० 8 वादी को दावा लाने का अधिकार हासिल नहीं है। प्रार्थना हे कि दावा खर्च सहित खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी व वकील प्रतिवादी बाउजूद सूचना हाजिर नहीं आने से दिनांक 01.04.2016 को प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।




उप खण्ड अधिकारी
तालेड़ा

साक्ष्य में नकल जमाबन्दी खाता सं० 392 ग्राम गामछ संवत् 2063-66 प्रदर्श-1, अस्थल कबीर पंथ का ट्रस्ट पंजीकृत आवेदन पत्र प्रदर्श-2, आवेदन पत्र ट्रस्ट विधान प्रदर्श-3, नोटिस की नकल प्रदर्श-4, देवस्थान विभाग द्वारा ट्रस्ट को पंजीकृत करने आदेश प्रदर्श-5, देवस्थान विभाग द्वारा जारी ट्रस्ट पंजीयन का प्रमाण पत्र प्रदर्श-6, जिलाधीश बून्दी का निर्णय दिनांक 11.05.1982 प्रदर्श-7, खसरा मिलान प्रदर्श-8, जमाबन्दी खाता सं० 438 ग्राम गामछ संवत् 2071-74 प्रदर्श-9 आंशिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श-10, खसरा गिरदावरी ग्राम गाचछ संवत् 2071-74 प्रदर्श-11, तहसीलदार बून्दी द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर बून्दी को भेजी गई वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रदर्श-11, प्रभाकरदास का शपथ पत्र पीडब्ल्यू-1 की प्रतियाँ पेश की।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वाद पत्र की वाद पत्र में चाही गई रिलीफ वादी को प्रदान किये जाने का निवेदन किया। हमने वादी वकील की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। वादी के द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। चूंकि वादी रिकार्डेड खातेदार है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि वादी की खातेदारी की नकल जमाबन्दी खाता सं० 392 वाके ग्राम गामछ संवत् 2063-66 प्रदर्श-1 की कृषि भूमि से प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि पर से बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा संभलाया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
तालसरी
तालसरी